

कार्यालय नगर पालिका परिषद गुलावठी जनपद बुलन्दशहर

दिनांक : 29.5.18

पत्रांक 304/न0पा0प0गु0/2018-19

ई-टेंडर निविदा सूचना (अतिअल्पकालीन)


नगर पालिका परिषद गुलावठी जनपद बुलन्दशहर में पंजीकृत ठेकेदारों से 14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत निम्न निर्माण कार्य हेतु निविदाओं आमंत्रित की जाती है। 14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत निम्न कार्यों के लिए प्राप्त धनराशि से अतिरिक्त का भुगतान पालिका निधि/राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से किया जाएगा। निविदाओं का विवरण एवं प्रपत्र उत्तर प्रदेश ई-प्रक्रियोरमेन्ट की वेबसाईट <http://etender.up.nic.in> से प्राप्त किये जा सकते हैं।


| कार्यों के निविदा स्कैन आर्नेस्टमनी एवं निविदा शुल्क की मूल प्रति कार्यालय में जमा करने की अन्तिम तिथि एवं समय | | 14.06.2018 सांय 4.00 बजे तक | | | | |
|--|--|---|------------|--------------|------------|---------------|
| कार्यों की निविदा अपलोड करने की प्रारम्भ व अन्तिम तिथि एवं समय | | 08.06.2018 से 14.06.2018 सांय 4.00 बजे तक | | | | |
| कार्यों की निविदा खोलने की तिथि एवं समय | | 15.06.2018 अपराह्न 12.00 बजे | | | | |
| क्र० सं० | कार्य का नाम | अनुमानित लागत | धरोहर राशि | निविदा मूल्य | 18% G.S.T. | कार्य की अवधि |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | वार्ड सं० 14 मौ० श्यामल/रामनगर में मास्टर यशवीर सिंह के मकान से जसवीर के मकान तक एवं शशि देवी के मकान तक इन्टर लॉकिंग टाईल्स व नाली निर्माण कार्य। | 1299640 | 25993 | 2600 | 468 | 02 माह |
| 02 | लास अपशिष्ट प्रबंधन के तहत नगर गुलावठी के अपशिष्ट पृथक्करण कार्य हेतु बरमतपुर मार्ग पर (निकट रेलवे क्रॉसिंग) भूमि के बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य | 1479467 | 29589 | 3000 | 540 | 02 माह |
| 03 | वार्ड सं० 8 मौ० रामनगर में जयंती प्रसाद वर्मा के मकान से राजकुमार के मकान तक इन्टरलॉकिंग टाईल्स व नाली निर्माण कार्य। | 1095443 | 21909 | 2200 | 396 | 02 माह |
| 04 | जल भराव रोकने हेतु वार्ड सं० 25 मौ० महरवानपुरा में महबूब के मकान से नौरो के मकान तक एवं परवेज के मकान से शरीफ के मकान तक व घांठ के मकान से साबू के मकान तक इन्टरलॉकिंग टाईल्स लगाने का कार्य एवं नाली निर्माण कार्य। | 1173806 | 23476 | 2300 | 414 | 02 माह |

निविदाओं के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण बिन्दु एवं शर्त :-

- शर्त निविदाएं मान्य नहीं होंगी और स्वतः ही निरस्त समझी जायेंगी।
- किसी भी निविदा को बिना कोई कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार नगर पालिका परिषद गुलावठी के सक्षम अधिकारी में सुरक्षित होगा।
- निविदा शुल्क धनराशि अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, गुलावठी के पद नाम से बैंक ड्राफ्ट की स्कैन कॉपी निविदा के साथ अपलोड करना आवश्यक होगा। उपरोक्त प्रपत्र न होने की स्थिति में ठेकेदार की निविदा को अवैध माना जायेगा।
- यदि किसी कारणवश निविदा दिनांक 14 जून 2018 को नहीं खोली जाएगी तो निविदा अगले कार्य दिवस में खोली जाएगी। किन्हीं विशेष परिस्थितियों में निविदा न खोले जाने पर निविदा खोले जाने की अग्रिम सूचना नियमानुसार दे कर निविदा खोली जाएगी।
- प्रत्येक निविदा के साथ दो प्रतिशत धरोहर राशि की एन0एस0सी0/एफ0डी0आर0 कॉलम संख्या 4 में अंकित विवरण के अनुसार, जो अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, गुलावठी के पद नाम से बंधक होगी, की स्कैन कॉपी निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- निविदा खोले जाने के समय निविदादाता की उपस्थिति वांछनीय है।
- प्रत्येक निविदा के साथ निविदादाता को पंजीकरण प्रमाण पत्र, हैसियत, चरित्र प्रमाण पत्र, पैन नम्बर, जी0एस0टी0 पंजीकरण व श्रम विभाग के पंजीकरण की प्रतियाँ अपलोड करना अनिवार्य होगा, जिसकी एक प्रिन्टेड प्रति लिफाफे में रखकर एवं निविदा शुल्क व धरोहर राशि की एफ0डी0आर0 की मूल प्रति एक लिफाफे में रखकर लिफाफे पर कार्य का नाम, ठेकेदार/फर्म के नाम के साथ निविदादाता के स्पष्ट हस्ताक्षर एवं मोहर लगाकर निर्धारित तिथि दिनांक व समय तक नगर पालिका परिषद, गुलावठी कार्यालय में रखे सीलड बॉक्स में डालना अनिवार्य है। यदि लिफाफे पर उक्त विवरण अंकित नहीं होंगे तो लिफाफा अवैध माना जायेगा एवं ऐसी निविदा का संज्ञान नहीं लिया जायेगा।
- जिन ठेकेदारों/फर्मों का पंजीकरण/नवीनीकरण वर्ष 2018-2019 के लिए हो चुका है, वही ठेकेदार/फर्म निविदा डालने हेतु अर्ह होंगे।
- निविदादाता द्वारा विभागीय लागत से कम लागत की निविदा डालने की दशा में शासनादेश संख्या-622/23-12-2012-2 ऑडिट/09टी0सी0-2 दिनांक 08.06.2012 के अनुसार 10 प्रतिशत तक निम्न दरें प्राप्ता होने पर 0.50 प्रतिशत धनराशि प्रति प्रतिशत दर तथा 10 प्रतिशत से अधिक निम्न दरों पर 1.00 प्रतिशत धनराशि प्रति 1 प्रतिशत निम्न दर पर परफोरमेन्स गारन्टी के रूप में अतिरिक्त धरोहर धनराशि जमा कराने के उपरान्त अनुबंध गठित किया जायेगा। निविदादाता द्वारा उक्त धनराशि जमा न किये जाने पर उसकी धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
- शासनादेश संख्या 0145/नौ-9-2013 दिनांक 10.12.2013 के द्वारा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम के अन्तर्गत ठेकेदारों के पंजीयन एवं श्रमिकों के पंजीयन करायें जाने अनिवार्य होंगे। प्रत्येक निविदा कार्य का पंजीयन ठेकेदार/संस्था को कार्यदेश प्राप्ति पर श्रम विभाग से कराकर पालिका में जमा करना होगा।
- अपठनीय/अस्पष्ट स्कैन कॉपी टैण्डर के साथ अपलोड होने पर निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के पत्र संख्या 3385/86-2015-292/2015 दिनांक 15 अक्टूबर 2015 के अनुपालन में प्राप्त किये जाने वाले उपखनिजों पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान वैध अभिवहन प्रपत्र (एमएम-11) के आधार पर परियहन किये जायें, बिना वैध अभिवहन प्रपत्र (एमएम-11) के किया जाता है तब प्रयुक्त उपखनिज की रायल्टी के साथ-साथ खनिज मूल्य (सामान्यतः रायल्टी का पांच गुणा) की कटौती ठेकेदार के बिल से करते हुए लेखा शीर्षक में जमा करा दी जायेगी।
- शासनादेश संख्या 24वीआईपी(1)/नौ-5-2017-120बजट/2013 नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ दिनांक 24 अगस्त 2017 के अनुपालन में योजनान्तर्गत निर्मित किये जाने वाली सड़क को निर्माण पूर्ण होने के पश्चात् 5 वर्ष तक अनुरक्षण/रख-रखाव की जिम्मेदारी सम्बन्धित कॉन्ट्रैक्टर की होगी। परियोजना लागत की 5 प्रतिशत धनराशि परफॉर्मन्स गारन्टी के रूप में 5 वर्ष रोकने के उपरान्त सड़क के समुचित रख-रखाव होने की दशा में भुगतान की जाएगी।
- कार्य पूर्ण होने पर समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण होने के उपरान्त ठेकेदार के बिल से जी0एस0टी0 की धनराशि को रोकते हुए बिल का भुगतान पालिका द्वारा किया जाएगा। जी0एस0टी0 की धनराशि का भुगतान फर्म द्वारा किये जाने के उपरान्त भुगतान से सम्बन्धित वाउचर निकाय में जमा करने के उपरान्त (as per actuals) इस धनराशि की प्रतिपूर्ति निकाय द्वारा फर्म को की जाएगी।
- निविदा विवरण निम्न प्रारूप में उल्लेखित कार्य का अलग-अलग विवरण उनकी आंगणन लागत निविदा की अर्नेस्टमनी निविदा मूल्य तथा समय अवधि का विवरण उपरोक्त वेबसाईड पर देखा जा सकता है। विवरण के अनुसार प्रत्येक कार्य की अलग-अलग निविदा आमंत्रित है।


15. ठेकेदार/फर्म का जी0एस0टी0 में पंजीकरण अनिवार्य है तथा जी0एस0टी0 के अन्तर्गत आने वाली समस्त कटीतियां देय होगी।
16. प्रत्येक निविदादाता निविदा देने से पूर्व उक्त सूची में अंकित निर्माण कार्य के स्थल का ठेकेदार भली-भांति निरीक्षण अवश्य कर लें।
17. निविदा के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर न्यायाधिक क्षेत्राधिकार, बुलन्दशहर होगा।
18. शासनादेश संख्या 609/नी-9-2007-249ज/06 दिनांक 26.02.2007 के अनुपालन में प्रत्येक निविदा पत्र के साथ 100/-रूपये के स्टाम्प पेपर पर स्वचोपणा पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
19. उपरोक्त सूचना जिले की वेबसाईट <http://www.bulandshahr.nic.in> तथा पालिका की वेबसाईट www.nppgulaothibsr.in पर भी देखी जा सकती हैं।
20. निविदा के सम्बन्ध में अन्य विस्तृत सूचना एवं शर्तें किसी भी कार्य दिवस में न0प10प0गुलावठी के निर्माण विभाग से प्राप्त की जा सकती हैं।


 (मुक्ता सिंह)
 अधिशासी अधिकारी
 नगर पालिका परिषद गुलावठी
 जनपद बुलन्दशहर


 (काले खां कुरैशी)
 अध्यक्ष
 नगर पालिका परिषद गुलावठी
 जनपद बुलन्दशहर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. जिलाधिकारी महोदय, बुलन्दशहर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, बुलन्दशहर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रभारी अधिकारी महोदय, स्थानीय निकाय, बुलन्दशहर को सूचनार्थ प्रेषित।
4. उपजिलाधिकारी महोदय, बुलन्दशहर के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चरपा हेतु।
5. जिला सूचना राष्ट्रीय इन्फारमेशन केन्द्र, बुलन्दशहर को पत्र के साथ उक्त निविदा की सी0डी0 की एक प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि इन निविदाओं को जिला बुलन्दशहर की वेबसाईट पर प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
6. कार्यालय नगर पालिका परिषद, गुलावठी के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चरपा हेतु।


 अधिशासी अधिकारी
 नगर पालिका परिषद गुलावठी
 जनपद बुलन्दशहर